म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म– डी
अस्वीकृति आदेश
(कृपया नियम 4(2) देखे)

No.RTIA/DR-HCIND/ 268 Indore, Dated 01.02.2018

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

प्रति,

श्री प्रवीण वैष्णव, भृत्य,
आवक शाखा,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय,
इंदौर (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में आपका आवेदन आवक कमांक 244 दिनांक 29/01/2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कि हमारे आई.डी. संख्या 63/2017-18 दिनांक 29/01/2018 में पंजीकृत है, के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

1- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 गठित किया है जिसके नियम 7(1) के अनुसार एक भारतीय नागरिक आवेदक को 50/- रू0 शुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक स्टाम्प/ट्रेजरी चालान संलग्न करके फार्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की स्वः हस्ताक्षरित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपनी स्वः हस्ताक्षरित तस्वीर भी नहीं चिपकाई और साथ ही रू0 50/- शुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक स्टाम्प/ट्रेजरी चालान संलग्न करने में भी विफल रहे हैं।

2- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) 2006 के नियम 3(2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाना चाहिए जबकि आपके द्वारा एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।

3- प्रकरण डब्ल्यू0पी0क. 1183/2016 में आप संबंधित पक्षकार नहीं हैं क्योंकि आपका नाम न ही याचिकाकर्ता में है और न ही प्रत्यर्थीगण में हैं।

4- चूंकि प्रकरण डब्ल्यू.पी. 1183/2016 (फूल कुमारी वि0 होम डिपार्टमेंट एवं 6 अन्य) वर्तमान में म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष लंबित है, अतः म0प्र0 उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार नियम 2006) के नियम 8(1) के अनुसार आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी लोक सूचना अधिकारी देने हेतु बाध्य नहीं है, जो कि म0प्र0 उच्च न्यायालय नियम 2006 के चेप्टर 18 के अनुसार इस खण्डपीठ के कॉपिंग सेक्शन में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करके तथा कॉपिंग फीस अदा करके प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपके आवेदन को निरस्त किया जा रहा है।

Received
1-2-18
प्रवीण वैष्णव

01.02.18

अविरत...2...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।

(सजेश कुमार शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार /
राज्य लोक सूचना अधिकारी
01.02.18